विधान परिषद द्वितीय सत्र-2023 के प्रथम गुरूवार हेतु डा0 भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या- 5 का उत्तर।

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>5- (क) क्या आयुष मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जनहित गांरटी अधिनियम 2011 की धारा-3 एवं धारा-8 में उल्लिखित सेवाओं अधिकारियों के नाम व पदनाम अधिसूचित किये जाने विषयक आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे?</td><td>जी हां।</td></tr>
<tr><td>(ख) लोक सेवा प्रबंधन अनुभाग की अधिसूचना संख्या- 375/91-2013 दिनांक 27 नवम्बर, 2013 की क्रम संख्या-6 पर अंकित 10 प्रकरणों/सेवाओं का विवरण एवं निस्तारण की समय सीमा क्या है?</td><td>
<table>
<tr><th>क्र. स.</th><th>अधिसूचित सेवाएं/ कामन सेवां(सेवावार)</th><th>निस्तारण की समय सीमा</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>पेंशन स्वीकृति पर निर्णय</td><td>60 दिन</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>जीपीएफ स्वीकृति पर निर्णय</td><td>30 दिन</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>चिकित्सा अवकाश स्वीकृति पर निर्णय</td><td>15 दिन</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर निर्णय</td><td>60 दिन</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>प्रोवीजनल पेंशन स्वीकृति पर निर्णय</td><td>30 दिन</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>उपार्जित अवकाश स्वीकृति पर निर्णय</td><td>15 दिन</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>वेतन भुगतान पर निर्णय</td><td>15 दिन</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>गोपनीय प्रविष्टि पर निर्णय</td><td>30 दिन</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन पर निर्णय</td><td>90 दिन</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>मृतक आश्रित नियुक्ति (सामान्य मामलों में) निर्णय</td><td>90 दिन</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(ग) इन 10 प्रकरणों/सेवाओं से सम्बन्धित अलग-अलग कितने प्रकरण पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, द्वितीय अपीलीय अधिकारी तथा पुनरीक्षण अधिकारी के स्तर पर कितने दिवसों तक लंबित रहे है?</td><td>कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं रहा। सभी प्रक्रियाधीन रहे हैं।</td></tr>
<tr><td>(घ) उक्त 10 प्रकरणों/सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में निस्तारितन करने के लिए दोषियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अलग-अलग क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई?</td><td>प्रश्न नहीं उठता है।</td></tr>
<tr><td>(ड.) यदि नहीं, तो क्यों ?</td><td>प्रश्न नहीं उठता है।</td></tr>
</table>

डा0 दयाशंकर मिश्र ''दयालु''
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
आयुष विभाग।

कार्यालय निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
संख्या–नि0हो0 / 39 / 13 / 3148 लखनऊः दिनांक 28 जुलाई, 2023

–: कार्यालय ज्ञाप :–

उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रकरणों के समयबद्ध रूप से निस्तारण हेतु तत्काल प्रभाव से डा0 अरूण कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तर प्रदेश को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनका मोबाइल नम्बर 9450326850 है। इस संबंध में डा0 अरूण कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, होम्योपैथिक निदेशालय, उ0प्र0 प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा प्रो0 अरविन्द कुमार वर्मा, निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 / विभागाध्यक्ष द्वितीय अपीलीय अधिकारी होंगे।

2– इस संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक निरस्त / संशोधित समझा जायेगा।

(प्रो0 अरविन्द कुमार वर्मा)
निदेशक।

संख्या–नि0हो0 / 39 / 13 / 3148 (1) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन, आयुष अनुभाग–2
2– निदेशालय के समस्त अधिकारी / कर्मचारी।
3– प्राचार्य, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, (होम्योपैथी विभाग) उत्तर प्रदेश।
5– समस्त जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
6–चिकित्सा अधीक्षक, 50 शैय्या एकीकृत चिकित्सालय, कौशाम्बी, देवरिया, लखनऊ।

(प्रो0 अरविन्द कुमार वर्मा)
निदेशक।

HSingh 28.7.23
28/07/23

प्रेषक,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सेवा में,

अनु सचिव,
आयुष अनुभाग–2,
उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ।

संख्या :– 841 / सामान्य / 5734 / 2010 दिनांक :– 27-12-2022

विषय :– **जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 को अधिक प्रमावी ढंग से लागू करने हेतु प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–3190 / 96–आयुष–2–2022–103 / 2017 आयुष अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक–16 दिसम्बर,2022 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, द्वितीय अपीलीय अधिकारी तथा पुनरीक्षण अधिकारी का विवरण शासन को प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में आयुर्वेद विभाग के पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है।

क्र0 सं0	अधिकारियों का संवर्ग विवरण	अधिकारी का नाम	पदनाम	मो0 न0	ई.मेल
1	2	3	4	5	6
1	पदाभिहित अधिकारी	**विवरण पताका "क" पर संलग्न है।**			
2	प्रथम अपीलीय अधिकारी	आयुर्वेद निदेशालय में अपर निदेशक(प्रशासन), अपर निदेशक एवं उप निदेशक पद रिक्त है। इन पदों के विरुद्ध विभाग के अन्य अधिकारियों से प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य सम्पादित कराया जा रहा है के अधिकारियों में से एक अधिकारी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पदधारक है,से प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य सम्पादन कराये जाने हेतु विवरण प्रेषित किया जा रहा है–			
		डा0 पी0आर0वर्मा	क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।	7618934817	ayurvedicdirectorate1995@gmail.com
3	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	डा0पी0सी0 सक्सेना	निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0।	7398123381	ayurvedicdirectorate1995@gmail.com
4	पुनरीक्षण अधिकारी	**शासन स्तर से नामित किया जाना अपेक्षित है।**			
5	नोडल अधिकारी	**शासन स्तर से नामित किया जाना अपेक्षित है।**			

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीय,
(डा0पी0सी0सक्सेना)
निदेशक।

प्रेषक,

निदेशक,
यूनानी सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
आयुष विभाग, अनुभाग–2,
उ0प्र0 शासन लखनऊ।

संख्याः 1143 /यू0नि0/290–सा0/2022–23 दिनांकः:– 01.9.2022

विषयः– उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या–441/91–2022, दिनांक–30.08.2022 को संदर्भित करने की कृपा करें।

शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र में दिये निर्देशानुसार बिन्वार सूचना/विवरण निम्नवत् है:–

(1) यूनानी विभाग की किसी सेवा में संशोधन/परिमार्जन किये जाने अथवा अन्य कोई सेवा प्रस्तावित नही है।

(2) यूनानी विभाग में नोडल अधिकारी नामित है जिसका विवरण निम्नवत् है:–

नोडल अधिकारी का नाम	डा0 मो0 वसीम
पदनाम	प्रभारी अधिकारी/चिकित्साधिकारी
मोबाइल नम्बर	9453311957
ई–मेल	unanidirectorate2008@gmail.com

(3) अधिसूचित की गयी सेवाओ को विभागीय पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु पोर्टल निर्माण शीघ्र कराया जायेगा।

संलग्नक–उक्तवत् ।

O/c

भवदीय
arshad 01.09.22
for (प्रोफेसर अब्दुल वहीद)
निदेशक।

संख्याः 1143 I /यू0नि0/290–सा0/2022–23 दिनांकः:– 01.9.2022

प्रतिलिपिः–अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, लोक सेवा प्रबंधन अनुभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

arshad
for (प्रोफेसर अब्दुल वहीद)
निदेशक।

af 01/09/2022 O/c
01/9/22
01-9-2022